

## मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांक: 31.07.2022

मीरजापुर पुलिस द्वारा धर्मान्तरण से सम्बन्धित अभियोग में 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार —

थाना चील्ह , जनपद मीरजापुर पर दिनांक: 30.07.2022 को वादी अरूण पुत्र निरंजन सिंह निवासी नंगल खेड़ी, पानीपत, हरियाणा द्वारा लिखित तहरीर बावत् वादी के पुत्र गोलू उम्र करीब-11 वर्ष का धर्मान्तरण करा देने के सम्बन्ध में दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चील्ह पर मु0अ0सं0- 85/2022 धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम(2021) व 504,506,153ए भादवि बनाम शरीफ पुत्र मुन्ना आदि 04 नफर पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के निर्देशन में थाना प्रभारी चील्ह मय पुलिस बल द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्त- शरीफ पुत्र मुन्ना निवासी लखनपुर थाना चील्ह जनपद मीरजापुर व अभियुक्ता- बेबी पत्नी अरूण निवासिनी नंगल खेड़ी , पानीपत हरियाण, हालपता- लखनपुर थाना चील्ह जनपद मीरजापुर को दिनांक: 30.07.2022 को ग्राम लखनपुर से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता —

1-शरीफ पुत्र मुन्ना निवासी लखनपुर थाना चील्ह जनपद मीरजापुर।

2-बेबी पत्नी अरूण निवासिनी नंगल खेड़ी, पानीपत हरियाण, हालपता- लखनपुर थाना चील्ह जनपद मीरजापुर।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0- 85/2022 धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम(2021) व 504,506,153ए भादवि।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—

थानाध्यक्ष चील्ह –अजीत कुमार श्रीवास्तव मय टीम।

